वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण हेतु 10.465 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के अभिमत से सहमत होते हुए धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण हेतु 10.465 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 07/12/2022
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(संजय शुक्ला)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख ,छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840

ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–844/2845

दिनांक 07/12/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation Act, 1980 for Rehabilition – Upgrading of Dharmjaigarh Kapu road aera 10.465 ha. – regarding.**
रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/ROAD/ 43587/ 2019

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 1571 दिनांक 27.06.2022

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित भाग–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 07) – परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के कक्ष कमांक ग्राम ग्वारघुटरी पी.एफ. 355, रकबा 0.311 हे., पी.एफ. 360 रकबा 0.213 हे., मिरिगुडा पी.एफ. 354 रकबा 0.626 हे. परिक्षेत्र बोरो के कक्ष क्रमांक ग्राम नकना आर.एफ. 641 रकबा 0.462 हे. और खम्हार आर.एफ. 629 रकबा 0.486 हे. परिक्षेत्र कापू के कक्ष कमांक ग्राम सोनपुर आर.एफ. 80 रकबा 1.762 हे. और आर.एफ. 35 रकबा 1.773 हे. कुल रकबा 5.633 हे. वन भूमि एवं धरमजयगढ़ तहसील के धरमजयगढ़ में खसरा क. 1303/1क रकबा 0.434 हे., 1303/1क/1 रकबा 0.650 हे., 1310/1क/1 रकबा 0.344 हे., 1311/1क/1 रकबा 0.902 हे. ग्राम मिरिगुडा में खसरा क. 558/1क रकबा 0.830 हे., 558/9क एवं 560/1क रकबा 1.132 हे., 209/1क रकबा 0.540 हे. कुल रकबा 4.832 हे. राजस्व वन भूमि कुल रकबा 10.465 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि में धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 08 से 11) – वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वन मंडल द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – **FP/CG/ROAD/ 43587/ 2019** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.01.2020 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 18000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 12 से 13) – धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के कक्ष कमांक ग्राम ग्वारघुटरी पी.एफ. 355, रकबा 0.311 हे., पी.एफ. 360 रकबा 0.213 हे., मिरिगुडा पी.एफ. 354 रकबा 0.626 हे. परिक्षेत्र बोरो के कक्ष कमांक ग्राम नकना आर.एफ. 641 रकबा 0.462 हे. और खम्हार आर.एफ. 629 रकबा 0.486 हे. परिक्षेत्र कापू के कक्ष कमांक ग्राम सोनपुर आर.एफ. 80 रकबा 1.762 हे. और आर.एफ. 35 रकबा 1.773 हे. कुल वन भूमि रकबा 5.633 हे. वन भूमि एवं धरमजयगढ़ तहसील के धरमजयगढ़ में खसरा क. 1303/1क रकबा 0.434 हे., 1303/1क/1 रकबा 0.650 हे., 1310/1क/1 रकबा 0.344 हे., 1311/1क/1 रकबा 0.902 हे. ग्राम मिरिगुडा में खसरा क. 558/1क

रकबा 0.830 हे., 558/9क एवं 560/1क रकबा 1.132 हे., 209/1क रकबा 0.540 हे. कुल राजस्व वन भूमि रकबा 4.832 हे. कुल वन एवं राजस्व वन भूमि रकबा 10.465 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि में धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 14 से 15) – प्रस्तावित धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत 35.441 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 16 से 20) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 21 से 29) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 30 से 38) – प्रपत्र – 4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 10.465 हे. वन/राजस्व भूमि के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 140.71 करोड़ बतायी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.4 से 0.5 है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 39 से 47) – विस्तृत टीप प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 48 से 49) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 50 से 51) – प्रस्तावित परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है। प्रत्यावर्तन हेतु मांग न्यूनतम है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 52 से 71) – धरमजयगढ़ – कापू मार्ग रकबा 10.465 हे. का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वन/राजस्व क्षेत्र प्रस्तावित हो रहा है। अतः पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 72 से 150) – धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वन/राजस्व भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु 1970 नग वृक्ष एवं 27 नग बांस भिर्रा का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।

बि.क्र. 13. कास्ट, बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 151 से 158) – प्रस्तावित परियोजना 20.00 हे. से कम होने के कारण परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। आवेदक संस्थान एवं वन मंडलाधिकारी का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल/ मानचित्र/ सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 159 से 160 तक) – वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पोंडीछाल, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ के कुधरीखार नारंगी वनखण्ड खसरा क. 36/1 परिक्षेत्र छाल, वनमंडल धरमजयगढ़ में कुल रकबा 65.280 हे. में से 16.699 हे. एवं नारंगी वनखण्ड सिथरा खसरा नं. 69/1 कुल रकबा 11.780 हे. में से 6.538 हे. भूमि का चयन किया गया है। चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि के विवरण की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 161 से 162) – प्रकरण में गैर वन क्षेत्र के आस–पास का नक्शा की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 163 से 211 तक) – वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम पोंडीछाल, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ के कुधरीखार नारंगी वनखण्ड खसरा क. 36/1 परिक्षेत्र छाल, वनमंडल धरमजयगढ़ में कुल रकबा 65.280 हे. में से 16.699 हे. एवं नारंगी वनखण्ड सिथरा खसरा नं. 69/1 कुल रकबा 11.780 हे. में से 6.538 हे. भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र अक्षांश, देशांस प्रजाति विवरण सहित) योजना तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 212 से 213) – आवेदित वन भूमि 10.465 हे. क्षेत्र के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन परिक्षेत्र छाल के परिसर बंगरसुता में नारंगी वनखण्ड, कुधरीखार खसरा नं. 36/1 रकबा 16.699 हे. एवं परिसर खडगांव में नारंगी वनखण्ड केराकोना (सिथरा) खसरा नं. 69/1 रकबा 6.538 हे वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 214 से 215) – वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वन मंडल के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 216 से 217) – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 218 से 219) – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 220 से 224) – छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 225 से 226) – परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है। अतः कैचमेंट, ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 227 से 228) – परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है। अतः रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 229 से 230) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 231 से 232) – प्रस्ताव किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 233 से 241 एवं 241ए) – प्रपत्र–3 पर वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल द्वारा दिनांक 09.03.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वन मंडल के अनुशंसा से मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 27.06.2022 से भाग–3 पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 242 से 244) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. पर कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 245 से 278) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित ग्राम खम्हार, ग्राम मिरीगुड़ा, ग्राम ग्वारघुटरी, ग्राम नकना, ग्राम सोनपुर तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ के वन /राजस्व भूमि प्रभावित है। तदाशय का सरपंच ग्राम पंचायत खम्हार, मिरीगुड़ा, ग्वारघुटरी, नकना एवं सोनपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 279 से 280) – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल की कुल अधिसूचित वनभूमि 171341.900 हे. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 281 से 282) – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ अंतर्गत कुल स्वीकृत प्रकरण में 419.433 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 283 से 284) – रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत इस श्रेणी के एक भी वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण स्वीकृत नहीं किया गया है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 285 से 286) – छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/ वन्य प्राणी अभ्यारण्य लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत है तथा किसी प्रकार का ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह अथवा मूर्ति नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वन मंडल एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 287 से 288) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 289 से 295) – वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर जिला रायगढ़ के दिनांक 30.11.2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 296 से 299) – आवेदित क्षेत्र में राजस्व वन भूमि प्रभावित हो रही है। अतः कलेक्टर जिला रायगढ़ का दिनांक 25.07.2019 से जारी राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 300 से 301) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 302 से 303) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 304 से 305) – आवेदित क्षेत्र में ग्रेनाइट नीस, सिस्ट फिलाईट बेसिक अल्ट्रा बेसिक शैल शामिल है। सिस्ट वर्ग के चट्टानों में बायोटाईट सिस्ट,

क्लोराईट माईकासिस्ट आदि पाई जाती है। वनस्पति विकास दर सामान्य है। यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 306 से 307) – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया है।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 308 एवं 309) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 310 से 313) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 314 से 315) – प्रस्तावित परियोजना हेतु आवश्यक नहीं है। तदाशय का आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 316 से 317) – प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 318 से 319) – संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–

1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में
3. टाईम लाईन
4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध / व.स.अ)
छत्तीसगढ़

पृ.क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–844/2846

रायपुर, दिनांक 07/12/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक,** बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी,** धरमजयगढ़ वन मंडल, धरमजयगढ़, छत्तीसगढ़।
3. **परियोजना प्रबंधक,** (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. सड़क विकास परियोजना, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़